

05-03  
25

वकील अपीलान्त उपस्थित। ऐस्यों समस्त कं  
वकील उपस्थित। जबतक धर्मा पत्र धारा-5  
एवं धर्मा पत्र प्राथमिक आपत्ति पैदा की।  
शांति जिल्ला की गई। अपीलान्त की ओर  
से एडवोकेट शंभू सिंह का वकीलान्त नाम  
पेश किया तथा एक धर्मा-पत्र अन्तर्गत  
आर्डर 23 नियम 1 CPC पेश किया गया।  
जो शांति जिल्ला। धर्मा-पत्र में अपीलान्त  
अपील चलाना नहीं चाहते हैं कि धर्मा करके  
दिए अपील वापिस लिए जाने की धर्मा  
की गई है वकील ऐस्यों 4, व 06 नं  
"भाँभाँसखान" अंकित किया है अन्तः

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रेल्वों सं ०५ व ०६ की और सं एड०  
महाराज सिंह डागुल का पकालनाम।  
पैसा हुआ, शामिल जिसिल किया गया।  
अपीलान्त का जयन्त-पत्र स्वीकार किया  
जाता है। अपील कार्यवाही इसी  
तरह पर आप की जाती है। पत्रावली  
किसल हुआ है। बाद कार्यवाही  
अखिल अंतर है।

२  
जिला कलक्टर  
भरतपुर